तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
29/11/24.	पत्रावली पेश। प्रार्थनापत्र आदेश-7 नियम 11 का निर्णय आज पृथक न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब दाखिल दफ्तर हो। [illegible signature] [illegible stamp]

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 137/2022

वादीनीगण

1. हवा पुत्री खमीशा पत्नी ताजू खां
2. एमनी पुत्री खमीशा पत्नी उस्मान खां
3. जली बानो पुत्री खमीशा पत्नी
   जाति कुम्हार–मुसलमान निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा
2. वली मोहम्मद पुत्र खमीशा
   जाति कुम्हार–मुसलमान निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी
3. मफीदेवी पत्नी आम्बाराम जाति कलबी निवासी सिंधासवा हरनियान
4. हकीम पुत्र गुल मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता वादीनीगण**
2. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29/1/24

वादीनीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 व 40 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1783 रकबा 1.1088 हैक्टेयर का मौजा गुड़ामालानी में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 मुस्लिम विधि से शासित हैं तथा मुस्लिम विधि में पत्नी का 1/8 हिस्सा होता है तथा पुत्रों का आधा हिस्सा पुत्रीयों का होता है। इस प्रकार इस विवादित आराजी में खमीशा के फौत के बाद 1/8 हिस्सा गायकी का था, तथा शेष 7/8 हिस्सा दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का तथा वादीगण का बनता है। इस प्रकार वादीगण से डबल हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का होता है तो प्रत्येक वादीगण का 1/8–1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 2/8–2/8 हिस्सा होता है। खमीशा के स्वर्गवास के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 तथा वादीगण की माता गायकी के नाम से नामान्तरकरण संयुक्त रूप से काबिज हुए एवं काश्त करते आ रहे हैं। अभी वादीगण की माता का स्वर्गवास होने पर

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के पास आये और वादीगण को कहा कि हमारी माता का स्वर्गवास होने पर फौतगी का नामान्तकरण भरना है इसलिये आप तहसील कार्यालय चलो जिस पर वादीगण ने अपने सगे भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर विश्वास कर लिया और वादीगण के साथ तहसील कार्यालय गुड़ामालानी में दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित हुई जहां पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने फौतगी का नामान्तकरण का कहते हुए वादीगण की माता के फौतगी में भरे जाने वाले नामान्तकरण में अपने दोनों भाईयों अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का हकतर्कनामा लिखवा दिया गया जिसके कारण उक्त फौतगी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से स्वीकृत किया गया। अर्सा एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादीगण को कब्जे काश्त से दखलंदाजी कर बेदखल करने का प्रयास किया तथा बताया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 2 वली मोहम्मद से उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि व गायकी से उसके 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/6 भाग जरिये रजिस्टर्ड बेचान के कय किया गया है। तब वादीनी को उक्त की जानकारी होने पर अपने पैतृक हकों की घोषणा का उक्त वाद न्यायालयश्री में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

वाद वादीनी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने उपपंजीयक कार्यालय गुड़ामालानी में उपस्थित होकर एक हकतर्कनामा दिनांक 20.10.2021 को निष्पादित कर अपना सम्पूर्ण पैतृक हक हिस्सा अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दिया गया है। वादीनीगण द्वारा अपना हिस्सा त्यागने के बाद विधि अनुसार खातेदारी घोषणा का वाद पेश नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण स्वत्व व अधिकार (No title & rights) नहीं है। वादीगण द्वारा हक त्याग करने के बाद जब तक वादीगण सक्षम सिविल न्यायालय में हकत्यागनामा अपास्त नहीं करवा दे तब तक वाद पोषणीय नहीं है। हकत्यागनामा निष्पादित करने के बाद वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं होता है। वादीगण ने रजिस्टर्ड रिलीजडीड निष्पादित कर भूमि में हिस्सा छोडा है रिलीजडीड को राजस्व न्यायालय के समक्ष आक्षेपित नहीं किया जा सकता है तथा केवल सिविल कोर्ट में ही आक्षेपित किया जा सकता है। इसलिये उक्त दावा क्षेत्राधिकार के वाहर है। अतः प्रार्थना पत्र

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार विहीन व कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के सम्बन्ध में वादीनीगण की ओर से कोई लिखित कथन/जबाव आदि पेश नहीं कर सीधी बहस कर कथन किया कि वादीनीगण को धोके में रखकर हकतर्कनामा तैयार कर हक त्याग करवाये गये हैं जिसकी जानकारी वादीगण महिला व अनपढ ग्रामीण होने से नहीं हो सकी इसलिये वादीनीगण द्वारा उक्त पैतृक आराजी में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद राजस्व न्यायालय में पेश किया है, पैतृक भूमि में हकों की घोषणा के वाद का सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा धोके में रखकर करवाये गये हकतर्कनामा को शून्य करार किया जावे तथा अपने हकों से अधिक किये गये बेचाननामा को वादीगण के हकों तक शून्य घोषित करते हुए माफिक हक हिस्सा वादीनीगण की खातेदारी घोषित की जावे। प्रतिवादी संख्या 3 की बहस है कि वादीनीगण स्वेच्छा से विवादित आराजी में से अपने हकों को जरिये पंजीवद्ध रिलीज डीड त्याग चुकी हैं इसलिये अब उक्त आराजी में वादीनीगण का जब तक कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होगें जब तक पंजीवद्ध रिलीज डीड को सिविल कोई से अपाप्त नहीं करवाये अतः वादीनी का वाद पत्र विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार विहीन व कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

दौनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। चूंकि वादीनीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी में अपने पैतृक हक दिनांक 20.10.2021 को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा से अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वेच्छा से त्याग दिये हैं, इसलिये उक्त विवादित आराजी में वादीनी का स्वामित्व व अधिकार समाप्त हो चुके हैं। वादीनीगण द्वारा स्वेच्छा से किये गये हकतर्कनामा को सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं देकर राजस्व न्यायालय में चुनौती दी हैं इस प्रकार वाद वादीनीगण ऐसी स्थिति में वादीनी का वाद बिना हकतर्कनामा खारिज करवाये राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। हकतर्कनामा को खारिज करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निम्नांकित दशाओं में ही वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता हैः–

1. कि जहां वादकरण प्रकट नहीं करता है, 2. जहां दावा अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर कुछ समय भीतर जो न्यायालय ने निहित किया है ऐसा करने में असफल रहा है, 3. जहां दावा कृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अप्रर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय में निहित किया है ऐसा करने में असफल रहता है, 4. जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है, 5. जहां डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है, 6.जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन में असमर्थ रहता है। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नामंजूर किये जाने के प्रदत्त बिन्दु संख्या 1 व 4 वादीनी के वाद पत्र पर चश्पा होते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीनीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी